

जा.क्र.माध्य-४/काबग/कोवि/१५/२४९१९-२३
 शिक्षण उपसंचालक कार्यालय,
 कोल्हापूर दिनांक :-२२/९/२०१५

प्रति,

लेखाधिकारी,
 लेखा परिक्षण पथक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

विषय क्रमांक १ : वेतन निश्चितीमध्ये झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी प्राप्त झालेल्या अपिलावर निर्णय घेणे
सदर्भ:- कार्यबळ गट समिती बैठक दि. १०/०९/२०१५

| अनु.क्र . | नाव शाळा | संबंधीत लेखाधिकारी यांचे अभिप्राय | निर्णय |
|--------------|---|---|--|
| १ | श्री. विष्णुपंत महादेव कोल्हापूरे सेवानिवृत्त सहा. शिक्षक भावेश्वरी हायस्कूल माद्याळ ता. कागल जि. कोल्हापूर | <p>यांची नियमित वेतनवाढ १ जानेवारी अशी आहे. शासन निर्णय दिनांक १३/०५/१९९९ अन्वये पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्चिती करतांना दि. ०१/०१/१९९६ रोजी वेतनवाढ न देता दि. ३१.१२.१९८५ च्या वेतनावर म्हणजे रु. १४४०/- या वेतनावर वेतन निश्चिती केले आहे. त्यांना दि. ०१.०१.१९९६ ची नियमीत वेतनवाढ देवून वेतन निश्चिती होणे आवश्यक होते.</p> <p>शासन निर्णय दिनांक १३.०५.१९९ मधील नियम ६ सुधारीत श्रेणीतमध्ये पुढील वेतन वाढीची तारीख नियम ५ च्या पोटनियम (१) अनुसार सुधारीत श्रेणीत वेतन निश्चित झालेल्या शिक्षक/शिक्षकतर कर्मचा-याची पुढील वेतनवाढ, विद्यमान श्रेणीतच तो राहील असता तर ज्या तारखेस त्याला मिळाली असतील त्या तारखेस देण्यात येईल असे सुचित केले आहे. श्री. कोल्हापूरे यांचे दि. ०१/०१/१९९६, दि. ११/०१/२००५ चे वरिष्ठ श्रेणी व दि. ०१/०१/२००६ च्या सुधारीत वेतन निश्चिती करणेस मान्यता मिळावी.</p> <p>सोबत श्री. विष्णुपंत महादेव कोल्हापूरे सहा. शिक्षक यांचे ०१/०१/१९९६ चे वेतन निश्चिती फार्म, दि. ११/०१/२००५ चे वरिष्ठ वेतनश्रेणी मधील वेतन निश्चिती फार्म व दि. ०१/०१/२००६ चे सुधारीत वेतन निश्चिती फार्म मान्यता सादर करणेत येत आहे</p> | <p>शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग १०/१२/१९९८ नियम ८ परि ६ नुसार दि. १.१.१९९६ रोजी एक वेतनवाढ देऊन पुढील वेतननिश्चिती करणे आवश्यक आहे. याबाबत सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला.</p> |

| २. | <p>श्री. आंबवकर प्रभाकर तुकाराम, नाईक</p> <p>१. श्री. आंबवकर हे दिनांक ०१.०४.१९८६ ते ३१.०१.२००३ पर्यंत शिपाई या पदावर व दिनांक ०१.०२.२००३ पासून पुढे नाईक या पदावरील मान्यतेची भायाप्रत सादर)</p> <p>२. श्री. आंबवकर यांना त्याची शिपाई या पदावरील १२ वर्षांची सेवा विचारात घेऊन दिनांक ०१.०४.१९९८ पासून कालबद्ध पदोन्नतीअंतर्गत तत्कालिन वेतन श्रेणी रु. ७७५-१२१५५ दरो १५-१०३०-२०-११५० मध्ये नाईक या पदाची वरिष्ठ श्रेणी देण्यात आलेली असून शासन निर्णय क्र. एसएसएन-२६९५/५५०/माशि-२, दिनांक ३० एप्रिल, १९९८ सोबतच्या स्पष्टीकरणामधील बाब क्र.४/१० नुसार या वेतनश्रेणीमध्ये त्यांचे वेतन रु.९९/- (८८८+१४ = ९१२ = पुढील टप्पा ९९/-) व पुढील वेतन वाढ दिनांक ०१.०४.१९९९ निश्चित करणेत आली आहे. (सेवापुस्तक पृष्ठ क्रमांक १३)</p> <p>३. त्यांचे पाचव्या वेतन आयोगांतर्गत शिपाई या पदासाठी (कालबद्ध पदोन्नतीपूर्व) अनुज्ञेय असलेली वेतनश्रेणी रु. २५५०-५५-२६६०-६०-३२०० मध्ये दिनांक ०१.०१.१९९६ रोजी वेतन रु. २७२०/- व पुढील वेतनवाढ दिनांक ०१.०४.१९९६ निश्चित करणेत आलेला आहे. (सेवापुस्तक पृष्ठ क्रमांक १५)</p> <p>४. ५ वा वेतन आयोग वेतननिश्चिती व पुढील वेतनवाढीनुसार वेतनाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.</p> | <p>दि.०१/०४/२००५</p> <p>रोजीचे वेतन</p> <p>३४४० असलेने</p> <p>दि. १.१.२००६ ची</p> <p>वेतननिश्चिती</p> <p>३३७० ऐवजी</p> <p>३४४०/-नुसार</p> <p>होणे आवश्यक</p> <p>आहे याबाबत</p> <p>सर्वानुमते निर्णय</p> <p>घेण्यात आला</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------|---------------------------|-------------------------------|------------|------|------------|------|------|--------|------|------|------------|------|-------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|------------|------|----------------|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">दि.०१.०१.१९९६ रोजीचे निश्चित केलेले वेतन</td><td style="width: 50%;">२७२०</td></tr> <tr> <td>०१.०४.१९९६</td><td>२७८०</td></tr> <tr> <td>०१.०४.१९९७</td><td>२८४०</td></tr> <tr> <td>०१.०४.१९९८</td><td>२९००</td></tr> </tbody> </table> | दि.०१.०१.१९९६ रोजीचे निश्चित केलेले वेतन | २७२० | ०१.०४.१९९६ | २७८० | ०१.०४.१९९७ | २८४० | ०१.०४.१९९८ | २९०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| दि.०१.०१.१९९६ रोजीचे निश्चित केलेले वेतन | २७२० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०१.०४.१९९६ | २७८० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०१.०४.१९९७ | २८४० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०१.०४.१९९८ | २९०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>उपरोक्त दोन्ही वेतननिश्चितीची पडताळणी या कार्यालयाकडून करणेत आलेली असून त्या बरोबर आहेत.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>५. प्रस्तावमध्ये नमूद केलेनुसार त्यांचे वरिष्ठ श्रेणीतील वेतन एकदा निश्चित झालेले असल्यामुळे पुढा पाचव्या वेतन आयोग हा दिनांक ०१.०१.१९९६ पासून लागू झालेला असल्यामुळे व कालबद्ध पदोन्नतीअंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी- वेतनश्रेणी रु. २६१०-६०-६५-३३००-७०-४००० मध्ये त्याचा लाभ देय होणार नाही असे विद्यालयास वाटल्यामुळे त्यांचे दिनांक ०१.०४.१९९६ रोजीचे वेतन सुधारीत वेतनश्रेणीनुसार देय ठरणा-या पुढील टप्पावर म्हणजे रु.२९१०/- निश्चित करून या वेतनश्रेणीतील पुढील वेतनवाढी प्रत्येक वर्षी ह ला देण्यात आलेल्या आहेत. (सेवापुस्तक पृष्ठ क्र.१४)</p> <p>६. तथापि पाचवा वेतन आयोग हा दिनांक ०१.०१.१९९६ पासून लागू झालेला असल्यामुळे व कालबद्ध पदोन्नतीअंतर्गत वरिष्ठ श्रेणी दिनांक ०१.०१.१९९८ पासून देय झालेली असल्यामुळे शासन निर्णय क्र. एसएसएन-२६९५/५५०/माशि-२, दिनांक ३० एप्रिल, १९९८ सोबतच्या स्पष्टीकरणामधील बाब क्र.४/१० नुसार सुधारीत वेतनश्रेणीत पुढा वेतननिश्चिती करणे आवश्यक आहे. हे विचारात घेता त्यांना देणेत आलेलेवेतन व देय होणारे वेतन याचा तपशील खलिल प्रमाणे आहे.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">दिलेले वेतन</th> <th colspan="3">देय होणारे वेतन</th> </tr> <tr> <th>दिनांक</th> <th>वेतन</th> <th>शेरा</th> <th>दिनांक</th> <th>वेतन</th> <th>शेरा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>०१-०४-१९९८</td> <td>२९१०</td> <td>व.श्रेणीत निश्चित केलेले वेतन</td> <td>०१-०४-१९९८</td> <td>२९००+६०=२९६० टप्पा = २९७५</td> <td>व.श्रेणीत निश्चित होणारे वेतन</td> </tr> <tr> <td>(२९००+६०=२९१०)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>०१-०४-१९९९</td> <td>२९७५</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> <td>०१-०४-१९९९</td> <td>३०४०</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> </tr> <tr> <td>०१-०४-२०००</td> <td>३०४०</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> <td>०१-०४-२०००</td> <td>३१०५</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> </tr> <tr> <td>०१-०४-२००१</td> <td>३१०५</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> <td>०१-०४-२००१</td> <td>३१७०</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> </tr> <tr> <td>०१-०४-२००२</td> <td>३१७०</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> <td>०१-०४-२००२</td> <td>३२३५</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> </tr> <tr> <td>०१-०४-२००३</td> <td>३२३५</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> <td>०१-०४-२००३</td> <td>३३००</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> </tr> <tr> <td>०१-०४-२००४</td> <td>३३००</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> <td>०१-०४-२००४</td> <td>३३७०</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> </tr> <tr> <td>०१-०४-२००५</td> <td>३३७०</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> <td>०१-०४-२००५</td> <td>३४४०</td> <td>नियमित वेतनवाढ</td> </tr> </tbody> </table> | दिलेले वेतन | | | देय होणारे वेतन | | | दिनांक | वेतन | शेरा | दिनांक | वेतन | शेरा | ०१-०४-१९९८ | २९१० | व.श्रेणीत निश्चित केलेले वेतन | ०१-०४-१९९८ | २९००+६०=२९६० टप्पा = २९७५ | व.श्रेणीत निश्चित होणारे वेतन | (२९००+६०=२९१०) | | | | | | ०१-०४-१९९९ | २९७५ | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-१९९९ | ३०४० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००० | ३०४० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००० | ३१०५ | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००१ | ३१०५ | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००१ | ३१७० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००२ | ३१७० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००२ | ३२३५ | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००३ | ३२३५ | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००३ | ३३०० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००४ | ३३०० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००४ | ३३७० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००५ | ३३७० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००५ | ३४४० | नियमित वेतनवाढ |
| दिलेले वेतन | | | देय होणारे वेतन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| दिनांक | वेतन | शेरा | दिनांक | वेतन | शेरा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०१-०४-१९९८ | २९१० | व.श्रेणीत निश्चित केलेले वेतन | ०१-०४-१९९८ | २९००+६०=२९६० टप्पा = २९७५ | व.श्रेणीत निश्चित होणारे वेतन | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (२९००+६०=२९१०) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०१-०४-१९९९ | २९७५ | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-१९९९ | ३०४० | नियमित वेतनवाढ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०१-०४-२००० | ३०४० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००० | ३१०५ | नियमित वेतनवाढ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०१-०४-२००१ | ३१०५ | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००१ | ३१७० | नियमित वेतनवाढ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०१-०४-२००२ | ३१७० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००२ | ३२३५ | नियमित वेतनवाढ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०१-०४-२००३ | ३२३५ | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००३ | ३३०० | नियमित वेतनवाढ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०१-०४-२००४ | ३३०० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००४ | ३३७० | नियमित वेतनवाढ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ०१-०४-२००५ | ३३७० | नियमित वेतनवाढ | ०१-०४-२००५ | ३४४० | नियमित वेतनवाढ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>उपरोक्तप्रमाणे देय होणारे होणार्या वेतनानुसार त्यांचे वेतन निश्चित झालेले नसल्यामुळे त्यांना एक वेतनवाढी इतकी रक्कम कमी देय झालेली आहे. पर्याने दिनांक ०१-०१-२००६ रोजी त्यांचे वेतन रु. ३४४०/- विचारात घेऊन पडताळणी होण्या ऐवजी रुम.३३७०/- विचारात घेऊन पडताळणी झालेले आहे. (सेवा पुस्तक पृष्ठ क्र.२६)</p> <p>७. श्री. आंबवकर यांना दिनांक ०१-०२-२००३ पासून नाईक या पदावर कार्यात्मक पदोन्नती देण्यात आली आहे. तथापि, शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन -२६९५/५५०/माशि-२ दिनांक ३० एप्रिल, १९९८ मधील नियम क्र.६ मधील तरतुदीनुसार वेतननिश्चितीचा पुढा लाभ प्रदान करणेत आलेला नाही. (सेवा पुस्तक पृष्ठ क्र.१७)</p> <p>उपरोक्त बाबी विचारात घेता श्री. आंबवकर यांना कालबद्ध पदोन्नतीअंतर्गत वरिष्ठ श्रेणीमधील दिनांक ०१-०४-१९९८ रोजीचे वेतन रु.२९१०/- ऐवजी रु.२९७५/- व पुढील वेतनवाढ दिनांक ०१-०४-१९९९ देय तसेच तदअनुषंगाने सहाव्या वेतन आयोगांअंतर्गत सुधारित वेतनसरचेनेमध्ये दिनांक ०१-०१-२००६ रोजीचे वेतन रु.३३७०/- ऐवजी रु.३४४०/- विचारात घेऊन देय असल्यामुळे यानुसार सुधारीतरत्या वेतननिश्चित करणेस/ पडताळणी करून देणेस मंजूरी मिळावी अशी विनंती आहे.</p> <p>श्री. आंबवकर यांना विद्यालयाच्या स्तरावरून, दिनांक ०१-०१-४-२००६ पासून बँड वेतन रु. ६४००/- (३४४० X १.८६ = ६४००/-) + ग्रेड वेतन रु. १६००/- व पुढील वेतनवाढ दिनांक ०१/०७/ विचारात घेऊन देय नाही परंतु अतिप्रदान वसुलीबाबत नमूद केलेला आक्षेप दूर होईल. अशी लेखांविकारी लेखर परिक्षण पथक (शिक्षण) रत्नागिरी यांनी प्रस्ताव सादर केला आहे.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----|--|---|---|
| ३. | <p>श्री. रमेश बसाण्या काटे श्री. गजानन हायस्कूल जाडर-बबलाद ता. जत जि. सांगली</p> | <p>यांचे मुळ सेवापुस्तकांची पडताळणी केली असता शासन निर्णय दि. ३१/०८/२००९ नुसार पडताळणी करीत असतांना त्यांना दि. ०१/०९/०९ रोजी एक जादा वेतन वाढ आदा करणेत आली आहे.</p> | <p>शासन निर्णय दि. ३१/०८/२००९ नुसार केलेला वेतननिश्चिती मध्ये दि. ०१-०९-२००९ रोजी ८२९० + १६०० दर्शविलेले वेतन चुकीचे असल्याने शासन निर्णय दि. ३१/०८/२००९ नुसार दि. ०१/०९/२००९ रोजी सुधारीत वेतन निश्चिती करून जादा अदा वेतनाची वसूली करावी असा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला.</p> |
|----|--|---|---|

सही/-

अध्यक्ष

तथा

शिक्षण उपसंचालक
कार्यबळ गट कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर

जा.क्र.माध्य-४/काबग/कोवि/१५/२४९९९-२३
 शिक्षण उपसंचालक कार्यालय,
 कोल्हापूर दिनांक :- २२/९/२०१५

विषय क्रमांक २ : खाजगी/संस्थेच्या मालकीचे इमारतीचे थकित भाडे मंजूर करणे

सदर्भ:- कार्यबळ गट समिती बैठक दि. १६/०७/२०१५

| अनु.क्र | तपशील | शिक्षणाधिकारी यांचे अभिप्राय | निर्णय |
|---------|--|---|---|
| १. | शाळेचे नाव :- छत्रपती शिवाजी हायस्कूल प्रयाग चिखली ता. करवीर जि. कोल्हापूर संस्थेचे नाव :- पंचगंगा शिक्षण प्रसारक मंडळ प्रयाग चिखली. ता. करवीर जि.कोल्हापूर | शिक्षणाधिकारी (माध्य.)जि.प. कोल्हापूर यांनी सदर शाळेचा ०४ खोल्यांना दरमहा ६३७५/-प्रमाणे दि. दि. ०१/१०/२००१ पासून इमारत भाडे मंजूर करणेस शिफारस केली आहे. | शिक्षणाधिकारी (माध्य) जि.प.कोल्हापूर यांचे शिफारसी नुसार प्रस्तावातील त्रुटी पुर्णतेच्या अटीवर छत्रपती शिवाजी हायस्कूल प्रयाग चिखली ता. करवीर जि. कोल्हापूर या शाळेचा दि.१ ऑक्टोबर २००१ पासून ०४ खोल्यांना रक्कम रूपये ६३७५/- इमारत भाडे मंजूर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. |
| २ | शाळेचे नाव :- वारणा माध्यमिक विद्यालय, शित्तूर/वारूण ता. शाहूवाडी जि. कोल्हापूर संस्थेचे नाव :- हात्यर एज्युकेशन सोसायटी शिराळा | शिक्षणाधिकारी (माध्य.) जि.प. कोल्हापूर यांनी सदर शाळेच्या ०१ खोल्यांना दरमहा ८३५/- प्रमाणे दि. १५.०६.२००८ पासून इमारत भाडे मंजूर करणेस शिफारस केली आहे. | शिक्षणाधिकारी (माध्य) जि.प.कोल्हापूर यांचे शिफारसी नुसार प्रस्ताव परिपुर्ण असल्याने वारणा माध्यमिक विद्यालय, शित्तूर/वारूण ता. शाहूवाडी जि. कोल्हापूर या शाळेचा दि.१५ जून २००८ पासून ०१ खोल्यांना रक्कम रूपये ७७५/- इमारत भाडे मंजूर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. |
| ३ | शाळेचे नाव :- महात्मा गांधी विद्यालय, देवगड ता.देवगड जि. सिंधुदुर्ग संस्थेचे नाव :- तळेबाजार पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ, तळेबाजार ता. देवगड जि. सिंधुदुर्ग | शिक्षणाधिकारी (माध्य.)जि.प. सिंधुदुर्ग यांनी सदर शाळेच्या ०४ खोल्यांना दरमहा १०४४६/- प्रमाणे दि. ०१.०८.२००७ पासून इमारत भाडे मंजूर करणेस शिफारस केली आहे. | शिक्षणाधिकारी (माध्य) जि.प. सिंधुदुर्ग यांचे शिफारसी नुसार प्रस्ताव परिपुर्ण असल्याने महात्मा गांधी विद्यालय, देवगड ता.देवगड जि. सिंधुदुर्ग या शाळेचा दि.१ अंगष्ट २००७ पासून ०४ खोल्यांना रक्कम रूपये १७९३/- इमारत भाडे मंजूर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| ५ | <p>शाळेचे नाव :- भारती विद्यापीठ हायस्कूल, गोडवली पांचगणी ता. महाबळेश्वर जि. सातारा</p> <p>संस्थेचे नाव :- भारती विद्यापीठ, पुणे</p> | <p>शिक्षणाधिकारी (माध्य.)जि.प. सातारा यांनी सदर शाळेच्या २६ खोल्यांना दरमहा १३१६२५/- प्रमाणे दि. ०१.०६.२००४ पासून इमारत भाडे मंजूर करणेस शिफारस केली आहे.</p> | <p>शिक्षणाधिकारी (माध्य) जि.प.रत्नागिरी यांचे कडून प्राप्त प्रस्तावानुसार कार्यबळगट बैठकीमध्ये शिक्षणाधिकारी यांचेकडून सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा. सदरच्या खोल्या शैक्षणिक वापरासाठी आहेत का याचा अहवाल घेण्यात यावा. असा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला.</p> |
|---|--|---|---|

सही/-

अध्यक्ष

तथा

शिक्षण उपसंचालक
कार्यबळ गट कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर